1/4

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : आर–1314/जी–5–3ए/2015 दिनांक : 02 जून, 2017

विषयः खतौनी पुनरीक्षण व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) के अनुरूप खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण का कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश संख्या–आर0 630/जी–3ए/2015 दिनांक 25 अप्रैल, 2016, संख्या–आर–1108/जी–5–3ए/2015 दिनांक 15 मई, 2017 व संख्या–आर–1109/जी–5–3ए/2015 दिनांक 15 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा–31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–28 के अनुरूप खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किए जाने हेतु निर्दिष्ट प्राविधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त विषय पर कतिपय पृच्छायें प्राप्त हुयी हैं, जिनके क्रम में पूर्व निर्गत परिषदादेश में इंगित समय सीमाओं व सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूपों व प्रक्रियाओं में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः उपयुर्क्त विवरणानुसार निर्गत परिषदादेशों में दिये गये निर्देशों को संशोधित करते हुये खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में अंश के निर्धारण किये जाने हेतु कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु निम्नवत् संशोधित प्रक्रिया एवं समयसीमा निर्धारित की जाती है :–

1. खतौनी में प्रत्येक सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु कार्यक्रम की सूचना **आकार पत्र–ख0पु0–1** (संलग्नक–1) का प्रकाशन दिनांक 05 जून से 15 जून 2017 के मध्य किया जाएगा। **इस सूचना में केवल वही राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जायेंगे, जिनकी खतौनी का पुनरीक्षण रोस्टर के अनुसार 1425 फसली में किया जाना है। आगामी फसली वर्षों हेतु यह कार्यक्रम इसी प्रकार यथावश्यक संशोधन के साथ संचालित किया जायेगा।** इस सूचना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किये जाने हेतु इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया जायेगा और सूचना की प्रतियां, जिलाधिकारी कार्यालय, अपर जिलाधिकारी

कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, सम्बन्धित विकास खण्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर चस्पा करने हेतु निर्देश दिये जायेंगे।

2. सूचना में उल्लिखित राजस्व ग्रामों के लेखपाल अपने राजस्व ग्राम की खतौनी में उल्लिखित खातावार समस्त खातेदारों/सहखातेदारों की सूची गाटा नम्बरवार तैयार करेगा। यह सूची गाटा नम्बरों के बढ़ते हुए क्रम में तैयार की जाएगी। खतौनी मे दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा **आकार पत्र–ख0पु0–2** (संलग्नक–2) के अनुसार दिनांक 16 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 के मध्य तैयार किया जाएगा। **आकार पत्र– ख0पु0–2** के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित लेखपाल द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। यह एक स्थायी अभिलेख होगा तथा खतौनी पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त इसे तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में संरक्षित किया जायेगा।

3. हिस्से के निर्धारण में लेखपाल द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 28(4) में उल्लिखित निम्न सिद्धांतों का अनुपालन किया जायेगा–

नियम 28(4)(क)– यदि जोत पैतृक है तो प्रत्येक खातेदार का हिस्सा इस संहिता में विहित उत्तराधिकार की विधि के अनुसार वंशवृक्ष के अनुरूप अथवा पारिवारिक बन्दोबस्त, यदि कोई हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा,

नियम 28(4)(ख) –यदि सह–खातेदारों के नाम अर्जन अथवा वसीयत के आधार पर अभिलिखित हैं तो हिस्से का निर्धारण सम्बन्धित विलेख में समाविष्ट विषय वस्तु के अनुसार निर्धारित किया जायेगा,

नियम 28(4)(ग)– यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा हिस्सा तय किया गया है तो उसे तद्नुसार दर्ज किया जायेगा।

4. सम्बन्धित लेखपाल द्वारा **आकार पत्र– ख0पु0–2** के आधार पर खतौनी में उल्लिखित समस्त खातों के समस्त खातेदारों/सहखातेदारों के खातों का गाटा नम्बरवार उद्धरण, उनके प्रस्तावित अंश को अंकित करते हुये, **आकार पत्र– ख0पु0–3** (संलग्नक–3) में तैयार किया जायेगा। इस **आकार पत्र– ख0पु0–3** को राजस्व निरीक्षक द्वारा **आर0सी0 प्रपत्र–8** (संलग्नक–4) में जारी किये जाने वाले नोटिस के साथ संलग्न करते हुये राजस्व ग्राम के समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जायेगा तथा प्राप्ति रसीद संकलित की जायेगी। नोटिस की कार्यालय प्रति पर सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार द्वारा नोटिस प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर/निशान अंगूठा, नाम व दिनांक सहित प्राप्त किया जाये। यदि कोई खातेदार/सहखातेदार ग्राम में निवास नहीं करता है तो उसका सही पता ज्ञात कर नोटिस की प्रति उसे डाक द्वारा भेजी जायेगी। यह कार्य दिनांक 01 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 के मध्य पूर्ण कर लिया जाये।

5. सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के एक माह के अन्दर (01 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 के मध्य) अपने अंश के संदर्भ में अपनी आपत्ति अथवा अभिकथन/शुद्धिकरण सम्बन्धी विवरण **आकार पत्र– ख0पु0–3** में यथास्थान भर कर, यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों की प्रति सहित, सम्बन्धित लेखपाल को अथवा सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को अथवा तहसील कार्यालय में डाक द्वारा अथवा तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकेगा। सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार द्वारा भरे गये **आकार पत्र– ख0पु0–3** की फोटोप्रति पर सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा तिथि, नाम व पदनाम सुस्पष्ट रूप से अंकित करते हुये हस्ताक्षर किया जायेगा व **आकार पत्र– ख0पु0–3** की उक्त फोटोप्रति, प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित खातेदार/सहखातेदार को उपलब्ध करायी जायेगी। रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा डाक के माध्यम से प्राप्त अथवा सीधे प्राप्त समस्त विवरणों (**आकार पत्र– ख0पु0–3**) को सूचीबद्ध करते हुये सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को प्राप्त कराया जायेगा।

6. राजस्व निरीक्षक द्वारा लेखपाल के माध्यम से प्राप्त अथवा सीधे प्राप्त अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय के माध्यम से प्राप्त सभी विवरणों (**आकार पत्र– ख0पु0–3**) को क्रमानुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। खातेदार/सहखातेदार द्वारा भरे गये **आकार पत्र– ख0पु0–3** की मूलप्रति तहसील स्तर पर स्थाई अभिलेख के रूप में संरक्षित की जायेगी तथा यथासमय उसको स्कैन (Scan) कराकर डिजिटल स्वरूप में भी संरक्षित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त एक माह की अवधि की समाप्ति के बाद, राजस्व निरीक्षक, राजस्व ग्राम समिति की सहायता से स्थानीय जांच–पड़ताल एवं पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित करेगा। इस हेतु दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक का समय निर्धारित किया जाता है। जिन प्रकरणों में स्थानीय जांच–पड़ताल एवं सुलह–समझौते के आधार पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा आदेश पारित किये जाते है, उनके क्रियान्वयन हेतु रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा रूप पत्र–6 में आदेश की प्रविष्टि की जायेगी और तद्नुसार कम्प्युटरीकृत खतौनी **आर0सी0प्रपत्र–7** (संलग्नक–5) में संशोधन किया जायेगा।

8. ऐसी सभी आपत्तियां अथवा आक्षेप जिन्हें राजस्व निरीक्षक द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर तय नहीं किया जा सका है, विलम्बतम 15 नवम्बर 2017 तक सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को अग्रसारित कर दिये जायेंगे और वह राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत वाद दर्ज कर, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रारम्भिक आदेश पारित करेगा और प्रारम्भिक डिक्री बनाएगा। पक्षकार यदि चाहते हो तो प्रारम्भिक डिक्री के बाद कुर्रा फाटकर अन्तिम आदेश और डिक्री बनायी जायेगी। उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु रजिस्ट्रार

4/4

कानूनगो द्वारा रूप पत्र–6 में आदेश की प्रविष्टि की जायेगी तथा तद्नुसार कम्प्युटरीकृत खतौनी **आर0सी0प्रपत्र–7** (संलग्नक–5) में संशोधन किया जायेगा।

9. इस नियम के अंतर्गत पारित आदेश से क्षुब्ध कोई पक्षकार अथवा ऐसे खातेदार/सहखातेदार जिनके द्वारा समय से अपनी आपत्ति अथवा **आकार पत्र–ख0पु0–3** में अपना विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, सक्षम न्यायालय में अपने हिस्से की घोषणा के लिये वाद दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार यथासंशोधित समयबद्ध प्रकिया के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करें व नामित अधिकारी के नाम व फोन नं0 से राजस्व परिषद को भी अवगत करायें। उक्त नामित अपर जिलाधिकारियों को इस कार्य का प्रशिक्षण देने व प्रस्तावित प्रक्रिया के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु **दिनांक 08 जून 2017 को 11:00 बजे राजस्व परिषद में स्थित सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है**, जिसमें सभी नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसी क्रम में उक्त नोडल अधिकारियों द्वारा अपने जनपद में कार्यरत समस्त राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 12 जून 2017 से 16 जून 2017 के मध्य कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

खतौनी पुनरीक्षण एवं उसमें सहखातेदारों के अंश निर्धारण सम्बन्धी कार्य जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अपनी देख–रेख एवं नेतृत्व में समयबद्ध ढंग से संचालित किया जायेगा तथा मण्डलायुक्तों द्वारा भी इस कार्य की मासिक आधार पर समीक्षा की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,

21/6/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त–
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–
1–प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।
2–समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संलग्नक–1

आकार पत्र– ख0पु0–1

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद.................

फसली वर्ष .... हेतु

पत्रांक–.................................... दिनांकः........................

आदेश

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 31की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं.................................... जिलाधिकारी, ...संलग्न सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ।

जिलाधिकारी ....

जनपद...

क्र0सं0	गतिविधि	समय सीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना।	05 जून 2017 से 15 जून 2017 तक
2	खतौनी मे दर्ज खातेदार/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारंम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र– ख0पु0–2 में तैयार किया जाना।	16 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक
3	लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र–ख0पु0–3 में तैयार किया जाना व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र–8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाना।	01 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक
4	खातेदार/सहखातेदार द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु आकार पत्र– ख0पु0–3 में विवरण अंकित करते हुये, यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जाना।	01 सितम्बर 2017 से 30 सितम्बर 2017 तक

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

5	राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जांच–पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह–समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना।	01 अक्टूबर 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक
6	खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करना।	01 नवम्बर 2017 से 15 नवम्बर 2017 तक

खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम हेतु राजस्व ग्रामों की सूची

(फसली वर्ष 1425)

क्र0सं0	तहसील का नाम	परगना का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम का कोड संख्या
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(भूमि व्यवस्था आयुक्त)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

संलग्नक–2

आकार पत्र– ख0पु0–2

राजस्व ग्राम का नाम – .... ग्राम का यूनीक कोड (6 अंक) – ....

लेखपाल क्षेत्र – ....

तहसील – .... जिला –..

क्रम सं0	खाता सं0	खातेदार/सहखातेदारों का नाम	पिता का नाम	गाटा सं0	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटे में खातेदार/सहखातेदार का अंश	खातेदार/सहखातेदार के अंश का क्षेत्रफल (हे0 में)	अंश निर्धारण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नाम एवं हस्ताक्षर लेखपाल...............................

उदाहरण 1 :– आकार पत्र– ख0पु0–2 संलग्नक–2

राजस्व ग्राम का नाम – मलेशेमऊ ग्राम का यूनीक कोड (6 अंक) – 110412

लेखपाल क्षेत्र –

तहसील – मोहनलालगंज जिला – लखनऊ

क्रम सं0	खाता सं0	खातेदार/सहखातेदारों का नाम	पिता का नाम	गाटा सं0	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटे में खातेदार/सहखातेदार का अंश	खातेदार/सहखातेदार के अंश का क्षेत्रफल (हे0 में)	अंश निर्धारण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1245	मोहन	रामपाल	145	0.900	1/6	0.150	वरासत	
				146	0.600	1/6	0.100	वरासत	
		सोहन	रामपाल	145	0.900	1/6	0.150	वरासत	
				146	0.600	1/6	0.100	वरासत	
		रोहन	रामपाल	145	0.900	1/6	0.150	वरासत	
				146	0.600	1/6	0.100	वरासत	
		जगतपाल	मैकू	145	0.900	1/2	0.450	वरासत	
				146	0.600	1/2	0.300	वरासत	

नाम एवं हस्ताक्षर लेखपाल...........................

उदाहरण 2 :– आकार पत्र– ख0पु0–2 संलग्नक–2

राजस्व ग्राम का नाम – मलेशेमऊ ग्राम का यूनीक कोड (6 अंक) – 110412

लेखपाल क्षेत्र –

तहसील – मोहनलालगंज जिला – लखनऊ

क्रम सं0	खाता सं0	खातेदार/सहखातेदारों का नाम	पिता का नाम	गाटा सं0	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटे में खातेदार/सहखातेदार का अंश	खातेदार/सहखातेदार के अंश का क्षेत्रफल (हे0 में)	अंश निर्धारण का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1547	करण	राजेश	154	0.360	1/3	0.120	वरासत	
				157	0.480	1/3	0.160	वरासत	
				201	0.420	1/3	0.140	वरासत	
				208	0.630	1/3	0.210	वरासत	
		अजय	राजेश	154	0.360	1/3	0.120	वरासत	
				157	0.480	1/3	0.160	वरासत	
				201	0.420	1/3	0.140	वरासत	
		सरन	राजेश	154	0.360	1/3	0.120	वरासत	
				157	0.480	1/3	0.160	वरासत	
				201	0.420	1/3	0.140	वरासत	
				208	0.630	1/3	0.210	वरासत	
		राम नरायण	रामदीन	208	0.630	1/3	0.210	बैनामा	राम नरायण ने अजय का गाटा संख्या 208 का अंश क्रय किया।

नाम एवं हस्ताक्षर लेखपाल ....

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

संलग्नक–3

आकार पत्र– ख0पु0–3

सहखातेदारों का प्रारम्भिक अंश निर्धारण

क्र0सं0	वर्तमान स्थिति (लेखपाल द्वारा भरा जायेगा)				शुद्धीकृत विवरण (खातेदार/सहखातेदार द्वारा भरा जायेगा)		
1	खातेदार का नाम						
2	पुत्र/पुत्री/पत्नी						
3	खातेदार का आधार नम्बर						
4	निवासी ग्राम						
5	परगना/तहसील						
6	जनपद						
7	ग्राम (जिसमें भूमि दर्ज है)						
8	ग्राम का यूनीक कोड						
9	खतौनी फसली वर्ष						
10	खाता संख्या						
11	गाटा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटे में सहखातेदार का अंश	सहखातेदार के अंश का क्षेत्रफल (हे0 में)	गाटा संख्या	गाटे में सहखातेदार का अंश	सहखातेदार के अंश का क्षेत्रफल (हे0 में)
(i)							
(ii)							
(iii)							
(iv)							
(v)							
(vi)							

मैं श्री/श्रीमती .... राजस्व अभिलेखों में अपने आधार नम्बर को अंकित करने की सहमति देता/देती हूँ /सहमति नहीं देता/देती हूँ।

खातेदार/सहखातेदार द्वारा अपने अभिकथन/विवरण के सम्बन्ध में जमा किये गये साक्ष्य/अभिलेखों का विवरण :–

(i)

(ii)

(iii)

हस्ताक्षर लेखपाल..........................

नाम..

हलका...

तहसील ....

दिनांक ....

खातेदार का हस्ताक्षर ....

खातेदार का पूरा नाम..

पिता/पति...

पता ....

मो0नं0 ....

दिनांक ....

नोटः– (i) यदि लेखपाल द्वारा भरे गये विवरण–खातेदार का नाम, पता, खाता संख्या, गाटा संख्या व अंश सही हैं तो सम्बन्धित कॉलम में खातेदार द्वारा केवल 'सही' शब्द लिख जाएगा । यदि किसी कॉलम का विवरण अशुद्ध है या उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो खातेदार द्वारा सम्बन्धित कॉलम में इसे शुद्ध रूप से अंकित कर इस आकार पत्र–2 क सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो को निर्धारित समय सीमा में हस्तगत कराया जायेगा।

(ii) यदि स्थान का अभाव है तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़कर उपरोक्त प्रारूप में क्रमांक को आगे बढ़ाते हुये विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) आकार पत्र–2 की सूचना की मूल प्रति खातेदार द्वारा सम्बन्धित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त करायी जायेगी व सूचना की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप उक्त सूचना की फोटोप्रति लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सदिनांक हस्ताक्षरित (नाम व पदनाम सहित) कर खातेदार को वापस कर दी जायेगी।

(भीष्म लाल ...)
उप भूमि व्यव... ...युक्त

संलग्नक–4

आर0 सी0 प्रपत्र–8

सह–खातेदारों के अंश के प्रारम्भिक निर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस

सेवा में,

....

....

....(खातेदार का नाम व पता)

नियमावली के नियम 27 के अन्तर्गत सह–खातेदारों के अंशों के प्रारम्भिक निर्धारण के अनुसार आपका अंश भू–खण्ड संख्या/खाता संख्या ....क्षेत्रफल.......................ग्राम..........................परगना.................. ....तहसील...........................जनपद..................................में है।

यदि आपको उपरोक्त प्रस्तावित अंश के बारे में कोई आपत्ति है तो आप नोटिस प्राप्ति के दिनांक .... से .... तक के अंदर लेखपाल के समक्ष आपत्ति दाखिल कर सकते है। यदि विहित समय के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको प्रस्तावित अंश के विरूद्व कोई आपत्ति नही है और तदनुसार आदेश पारित किया जायेगा।

राजस्व निरीक्षक

नाम...

हल्का...

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त

संलग्नक–5

आर0सी0 प्रपत्र–7

(देखें नियम–27)

खतौनी (अधिकार अभिलेख)

गांव :..................................., तहसील :............................., जिला :......................................

खाता खतौनी का क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पितृत्व तथा निवास	खातेदारी प्रारम्भ होने का वर्ष	खाता के प्रत्येक भू–खण्ड का खसरा संख्या	प्रत्येक भू–खण्ड का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू–राजस्व	खातेदार का अंश
1	2	3	4	5	6	7

परिवर्तन का आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी के आदेश का सार, आदेश की संख्या, दिनांक तथा पदनाम।						टिप्पणी
फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
8	9	10	11	12	13	14

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त